फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनकापुर

कजोड़ वगै० बनाम सरकार वगै०

केस संख्या 69/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्री हुई वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 14/11/25 को पेश हो।
	14/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस का मनन किया गया। अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा०सं० यू० रा०सं० अधिनियम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री आज से इजलास बनाया जाय। पत्रावली कोर्ट अपलोड होकर नियम से कम हो तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

(Y2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
69 / 2021

दायर दिनांक 12.04.2021

तारीख फैसला 14.11.2025

1. कजोड पुत्र प्रभू
2. बाबू पुत्र प्रभू

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बिलोद तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. प्रभाती देवी पत्नि सुखदेव जाति मीणा निवासी ग्राम बिलोद तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री सत्यपाल गुर्जर : – वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम बाबत नक्शा दुरूस्ती

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 563 रकबा 0.5500है0 के साबिक खसरा नम्बर 475 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा ग्राम बिलोद पटवार हल्का बिलोद तहसील जमवारामगढ में स्थित है। व अप्रार्थी सं0 2 की भूमि खसरा नम्बर 562 रकबा 0.5400है0 के साबिक खसरा नम्बर 474 थे पूर्व राजस्व नक्शें तरमीम शुदा स्थित थी उक्त अनुसार ही प्रार्थीगण मौके पर अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है। दौराने सेटलमेंट प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 475 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 563 रकबा 0. 5500है0 बनाये गये दौराने सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 475 के राजस्व नक्शे की भूमि को नवीन नक्शें में अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 562 रकबा 0.5400है0 में समाहित कर अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि 562 के राजस्व नक्शें में सम्पूर्ण को अंकित कर दिया व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 563 को भूमि खसरा नम्बर 564 के राजस्व नक्शे मे एक साथ अंकित कर दिया गया जबकि पूर्व राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 563 वर्तमान खसरा नम्बर 562 के दक्षिण दिशा में अंकित रहा है। अप्रार्थी सं0 2 ने सेटलमेंट कर्मचारियो से मिलीभगत कर प्रार्थीगण की भूमि को हडपने की नियत से प्रार्थीगण की पूर्व नक्शे मे तरमीम शुदा भूमि को स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 562 में मिलाते हुये राजस्व नक्शे में गलत तरमीम करवा लिया व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 563 को खसरा नम्बर 564 के साथ गलत रूप से तरमीम करवा दिया अप्रार्थी सं0 2 व सैटलमेंट कर्मचारियों को पूर्व राजस्व नक्शे के विपरित की पूर्व राजस्व नक्शे में तरमीम शुदा भूमि को अप्रार्थी सं0 2 की भूमि खसरा नम्बर 562 में समाहित कर राजस्व नक्शा तरमीम करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। राजस्व नक्शे की उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। दिनांक 20.03.2021 को अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 563 पर आये व प्रार्थीगण की पूर्व नक्शे तरमीम शुदा भूमि पर लकडीयॉ व बल्लीया गाड कर की गई तारफैन्सीग को जबरन हटाने लगे। अतः उक्त भूमि खसरा नम्बर 563 रकबा 0. 5500है0 के वर्तमान राजस्व नक्शें में हुई त्रुटि को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 564 के राजस्व नक्शें

मे किये गये गलत अंकन को हटाकर खसरा नम्बर 562 के वर्तमान राजस्व नक्शें में पूर्व राजस्व नक्शें के अनुसार खसरा नम्बर 563 का अंकन कर वर्तमान राजस्व नक्शें को दुरूस्त कर पूर्व नक्शे अनुसार नक्शा कायम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण को तलबी जरिये रजि0 ए0 डी से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भूमि उपस्थित नही हुये। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/25 /6837 दिनांक 27.08.25 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम बिलोद के खसरा नम्बर 563 रकबा 0.55है0 किस्म चाही ए कजोड पुत्र प्रभू हि0 1/2 राहिन पंजाब नेशनल एण्ड सिंध बैक शाखा कूकस, बाबू पुत्र प्रभू हि0 1/2 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन पंजाब एण्ड सिंह बैक शाखा कूकस में राजस्व रिकार्ड दर्ज है। खसरा नम्बर 563 वर्तमान नक्शें की प्रति प्रमाणित खसरा नम्बर 563 की भूमाप संन 2002–2 संवत 2059–60 प्रमाणित प्रतिलिपि उप तहसीलदार धौला मिलान क्षेत्रफल प्रति संलग्न है। पूर्व नक्शें अनुसार खसरा नम्बर 563 की नक्शा दुरूस्ती किया जाना अपेक्षित है।

वकील प्रार्थीगण वं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र तथा अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 563 की वर्तमान राजस्व नक्शें की तरमीम को पूर्व नक्शे अनुसार दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14.11..2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़